संख्या एस0आर0- 3598/दस-82(201)(33)/81 दि025-1-1983

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन ।

सेवा में,

समस्त जिला निबंधक / अतिरिक्त जिलाधिकारी (वि0/रा0)
उत्तर प्रदेश।

वित्त (स्टाम्प एवं रजि0) अनुभाग, लखनऊ, दिनांक जनवरी 25, 1983

विषय- जिलाधिकारियों द्वारा समय-समय पर विक्रय पत्रों के निबंधन पर रोक लगाये जाने के संबंध में|

महोदय,

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने सूचित किया है कि एक जनपद के जिलाधिकारी ने नजूल की सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित हस्तान्तरण पत्रों को तब तक रजिस्ट्री न करने के आदेश अपने जनपद के उपनिबंधकों को जारी किए है, जब तक उनके संबंध में सम्बन्धित नजूल अधिकारी से अनुमति प्राप्त न कर ली जाय । यह आदेश सम्भवतः नजूल भूमि अनाधिकृत विक्रय पर रोक लगाने के उदेश्य से जारी किये गए प्रतीत होते है । परन्तु रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत ऐसे लेखपत्रों के निबंधन से पूर्व जिलाधिकारी अथवा नजूल अधिकारी से ऐसी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नही है । स्पष्ट है कि इस प्रकार के आदेशों का कोई वैधानिक औचित्य नही है । अतः इनका उपनिबंधको द्वारा अनुपालन करना संभव नही है। उप निबंधक तो एक निबंधन अधिकारी मात्र है तथा उनका कर्तव्य है कि वह समस्त लेखपत्रों को निबंधन हेतु स्वीकार करें , जिनकों निबंधन करने की अनुमति निबंधन अधिनियम के तथा अन्य सम्पूरक अधिनियम देते है। किसी प्रशासनिक आदेश द्वारा लेखपत्रों के निबंधन पर रोक लगायी नही जा सकती है। इसके अतिरिक्त उप निबंधक को लेखपत्रों की वैधानिकता को जांच करने का भी अधिकार नही है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि जब कभी कोई जिलाधिकारी किसी भ्रमवश लेखपत्रो के निबंधन पर इस प्रकार या किसी और प्रकार की रोक लगाये जाने के प्रशासकीय आदेश जारी करें तो सम्बन्धित जिलाधिकारी को विधिक स्थिति स्पष्ट करते हुए उनके अपने आदेशों को पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया जाय तथा शासन को जिलाधिकारी के ऐसे आदेशों से उत्पन्न स्थिति से तुरन्त अवगत कराया जाय ताकि शासन स्तर पर भी सम्बन्धित जिलाधिकारी से अपने आदेशों को पुनरीक्षित करने का अनुरोध किया जा सके|

2-इन आदेशों की प्राप्ति स्वीकार करें, तथा इनका अनुपालन कड़ाई से करें|

भवदीय

ह०/–

रवीन्द्र नाथ तिवारी

संयुक्त सचिव

संख्या एस0आर0-3598(1)/दस-82201(33) /81 तददिनांक

1- प्रतिलिपि महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके अ0शा0प0संख्या 543/आश0लि0-82 दिनांक 30-9-1982 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |

2- प्रतिलिपि समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निंबधन उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित|

आज्ञा से

ह०/–

रवीन्द्र नाथ तिवारी

संयुक्त सचिव|